...भाग पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त है/भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः पेशी उपरान्त होकर पत्रावली दिनांक 3.5.17 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

3.5.17

राज्य सरकार/जिला ... के आदेशानुसार आयोजित न्याय आपके द्वार-2017 के तहत पत्रावली लोक अदालत/... कोर्ट ग्राम पंचायत ...गागुड़ा... के अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक ...6.6.17... को पेश हो। तदनुसार सम्मन/नोटिस जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

06-06-2017

राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2017 कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प - गागुड़ा अटल सेवा केन्द्र - पत्रावली आज पेश हुई वादी ने पट्टा राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण अन्तर्गत धारा 88 व 188 बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 27-06-2016 को इस अदालत का पेश किया कि मौजा गागुड़ा तहसील - सोजत में कृषि भूमि की आराजी कुछ भूमि व पैहव खसरा नं. 1032, 1049, 1155 व 1189 एवं 1567 कुल किता 5 रकबा रकबा 3=5300 हैक्टेयर गागुड़ा की स्थित है। उक्त भूमि में वादी का नाम सुखवासी पुत्र जेनाराम के स्थान पर चोथाराम पुत्र जेनाराम दर्ज कर दिया गया है, जिसे शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। वाद-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, शपथ-पत्र वादी, परिवार वादी एवं अन्य साक्षी के बयान में वादी का नाम सही व वास्तविक सुखवाराम पुत्र जेनाराम दर्ज है। मौजा - गागुड़ा में स्थित अन्य कृषि भूमि

लगातार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मांगीलाल ①
LTI ②
रूपाराम ③
मघीलाल ④
पहचानकर्ता
कंचन देवी
कंचन देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत, गागुड़ा
पं.स. सोजत (पाली)

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खाता संख्या 401 के राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी का नाम सही रूप से सुखवासपुत्र नेनाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस (सम्मन) जारी कर वास्ते जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 उपस्थित, जवाब पेश करना नहीं चाहते। 5 जवाब उनकी ओर से दर्ज किया गया। प्रति0सं0 5 अनुपस्थित रहे हैं। प्रति0 तहसीलदार, सोजत ने जवाब पेश किया कि मौजा-गाहुड़ की ख0नं0 1038, 1049, 1155, 1189व 1587 की भूमि वर्तमान में चौथाराम पुत्र नेनाराम आदि खातेदारों के नाम दर्ज है। उक्त भूमि की सिमल बन्दोबस्त सम्वत 8033-8058 में निशान किया गया तो उसमें तथा सम्वत 8044-47 जमाबन्दी में भी चौथाराम पुत्र नेनाराम व अन्य के नाम खातेदारी दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड में कहीं पर भी सुखवासपुत्र नेनाराम दर्ज नहीं है। इस कारण वादी का नाम सुखवासी की जाने की घोषणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार जवाब पेश कर प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने की इल्तिजा की। प्रति0सं0 5 का जरिये नोटिस कब्जा तामिल चस्पाकर तामिली रिपोर्ट की गई। बावजूद तामिली सूचना बार बार आवाजें लगाने पर अनुपस्थित है। वादी स्वयं भी आज अनुपस्थित रहे हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारानों को सुना गया। प्रस्तुत वाद पत्र सह खतावेजातों का गहनता पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत वाद-पत्र के संलग्न होम खतावेजी साक्ष्य सबूतों का अभाव है। सिमल बन्दोबस्त सम्वत 8033-58 व जमाबन्दी 8044-47 में तथा उक्त भूमि के अन्य राजस्व रेकर्ड में चौथाराम S/o नेनाराम काश्तकार अन्य खातेदारों के साथ दर्ज है। फलस्वरूप वादी घोषणीय नहीं होने, क्लीज 105 से पेश नहीं करने से मायने, आधार हीन व तथ्य हीन है। लिहाजा वादी का उक्त वाद खारिज किया जाना उचित समझता है।

—आदेश—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद क्लीज 105 से पेश नहीं करने से आधार खातेदारी होने सबूतों का अभाव में आधार हीन, तथ्य हीन व मायने हीन होने से घोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। नथा वाद पेश करने हेतु वादी होने से खारिज किया जाता है। नथा वाद पेश करने हेतु वादी स्वतंत्र है। पत्रावली अभिलेख दफ्तर अन्तर्गत जमाशुदा वाद तकमीली अंकित दर्ज करें। आदेश अन्तर्गत जमाशुदा वाद तकमीली अंकित दर्ज करें।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज आयोजित 8017 में आयोजित आमजन लोक अदालत, उपखण्ड कार्यालय सेवा खण्ड-गाहुड़ पर आज दिनांक 06-06-2017 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज